

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 13 जून, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वर्ष 2024-25 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों का वार्षिक स्थानान्तरण।

शासन के पत्र संख्या-4/2024/144-सामान्य/सैतालिस-का-4-2024-1/3/96 दिनांक 11-06-2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2024-25 के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति-2024-25 जारी की जा चुकी है। अतः राज्य कर विभाग के समूह-ग व घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण के संबंध में आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति में दिये गये दिशा निर्देशों का शात् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निम्न दिशा-निर्देशों के वृष्टिगत अप्रेत्र कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा ली जाये:-

1. (i) समूह ग के कार्मिकों के जोन के बाहर स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेंगे। इसी प्रकार जोन के अन्तर्गत एक जिले से दूसरे जिले में भी स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेंगे।
 2. (ii) समूह ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे। उक्ता निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
 3. (iii) स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह ग एवं समूह घ के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेंगे।
 4. (iv) समूह ग एवं समूह घ के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर भण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाए।
 5. (v) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदम्पि न की जाये।
- 02- राज्यकर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक वृष्टिकोण से स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि 30 जून तक अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
- 03- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश अराजपत्रित श्रेणी (समूह ग) के कार्मिकों के जोन के अन्तर्गत पटल परिवर्तन/ क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2022/सा10-119/सैतालीस-4-2022 (1-3-96) दिनांक 13-05-2022 (छायाप्रति संलग्न) तथा मुख्यालय के पत्र संख्या-1191 दिनांक 10-06-2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जारी निर्देशों के क्रांति गे निर्धारित समयान्तरित कार्यवाही करेंगे।
- 04- प्रायः कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आचरण अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। चूंकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आनंदण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अतः ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके विरुद्ध सुसंगत नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही वी प्रारम्भ करायी जाये। इसके अतिरिक्त अपरिहार्य परिस्थिति में ही ऐसे कार्मिकों के जोन से बाह्य

- स्थानान्तरण करने हेतु तर्कसंगत प्रस्ताव संलग्न प्रारूप-ख में जोनल अपर आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की जाये।
- 05- जोन के बाहर स्वेच्छा आधार पर स्थानान्तरण हेतु समस्त अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र / विकल्प संलग्न प्रारूप-क में कर्मचारी द्वारा अपने नियंत्रक, सम्भागीय अधिकारी के समक्ष 19 जून तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसे सम्भागीय अधिकारी द्वारा संकलित करके अपने जोनल अपर आयुक्त को 20 जून तक प्रेषित किया जायेगा। यदि स्थानान्तरण की कार्यवाही अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्यकर, उत्तर प्रदेश के स्तर से की जानी है, तब इन आवेदन पत्रों को सम्भागीय / जोनल अधिकारी के स्पष्ट मत / संस्तुति सहित मुख्यालय पर संवर्गावार पृथक-पृथक आवरण पत्रों के माध्यम से दिनांक 21 जून तक आफलाइन अथवा मेल आईडी-ct23comhqlu-up@nic.in पर प्रेषित किये जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यतः स्थानान्तरण के प्रस्ताव / प्रार्थना-पत्र प्रेषित न किये जायें।
- 06- वर्ष 2023-24 में जिन कार्मिकों द्वारा अपने संवर्ग में अथवा अन्य संवर्ग में की गयी पदोन्नति के पद को फोरगो करते हुये किन्हीं कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है और इस प्रकार की पदोन्नति को मुख्यालय द्वारा निरस्त भी किया जा चुका है, तो ऐसे कार्मिकों को उनके वर्तमान पटल / कार्यालय में किसी भी दशा में तैनात नहीं रखा जाएगा। ऐसे कार्मिकों की तैनाती कर निर्धारण / सचिल दल / अपर आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भी भविष्य में नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी यदि किसी कार्मिक द्वारा अपनी पदोन्नति को फोरगो किया जाता है तो उसे तत्काल उसके वर्तमान तैनाती कार्यालय / पटल से उपरोक्तानुसार प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर दिया जाए। अतः पदोन्नति फोरगो करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही अधिकृत जोनल अपर आयुक्त के स्तर पर सम्पादित करायी जायें।
- 07- भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से सम्बन्धित 08 जिले-चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिन्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतुष्ट कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहाँ तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाये।
- 08- आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जाये किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मात्र 01 विभागों भन्नी के अनुमोदनोंपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाये।
- 09- सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश/मण्डल/जिला स्तर के अध्यक्ष एवं सचिव के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाये। विन्तु लापरवाह/भ्रष्टाचार/अपरिहार्य परिस्थितियों की दशा में सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त यथावश्यक स्थानान्तरण किया जा सकेगा। जिन कार्मिकों का नीति में अधिकतम कार्यकाल (03 वर्ष/07 वर्ष) परिभाषित है, वह कार्मिक यदि 02 वर्ष से अधिक समय के लिए अध्यक्ष/ सचिव के पद पर निर्वाचित होता/ रहता है तो उसे स्थानान्तरण नीति में यह छूट उक्त अधिकतम कार्यकाल समाप्त होने के सत्र से अधिकतम 02 वर्ष तक ही मिल पायेगी।
- 10- समूह ग एवं समूह घ श्रेणी के कार्मिक यदि 02 वर्ष से अधिक समय के लिये अध्यक्ष/ सचिव के पद पर निर्वाचित होता/ रहता है तो उसे यह सुविधा उनके किसी जनपद के कार्यकाल की अवधि के आधार पर इस नीति के अनुसार स्थानान्तरण परिधि में आने वाले सत्र में अधिकतम 02 वर्ष तक मिल सकेगी।
- स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकार सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार

कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाये। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाये तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाये।

- 11- राज्य कर मुख्यालय तथा वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय को स्थानान्तरण की दृष्टि से एक ही कार्यालय माना जाएगा।
- 12- स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31 मार्च, 2024 को माना जायेगा।
- 13- चूंकि मनोरंजन कर का संविलयन राज्य कर विभाग में किया जा चुका है। अर्तः सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व मनोरंजन कर से सम्बन्धित कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहें।

स्थानान्तरण सत्र 2024-25 के लिये स्थानान्तरण / पटल परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त प्राविधानों / निर्देशों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त नीतिगत निर्देश तदनुसार संशोधित माने जायें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार (शासन द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति-2024-25 ,

शासनादेश दिनांक 13-05-2022, मुख्यालय का पत्र दिनांक-10-06-2022

तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्धारित प्रारूप-क व ख।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्ता।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रारूप-क एवं प्रारूप-ख सहित प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम) आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को अवलोकनार्थ।
- 3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
- 4- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 6- समस्त अनुभाग अधिकारी राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
- 7- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 8- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0/संग्रह) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 9- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 11- सहायक आयुक्त (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 12- पटल प्रभारी-स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) / स्था-3 (क) / स्था-3(ख) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 11 जून, 2024

विषय:- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष-2024-25

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या-5/2023/262/सामान्य/47-का-4-2023-(1/3/96), दिनांक 07 जून, 2023 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2023-24 के लिये स्थानान्तरण नीति एवं स्थानान्तरण से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2024-25 निर्धारित की जाती है।

2- समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

- i. जनपदों में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवाकाल में संबंधित जनपद में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त जनपदों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। इसी प्रकार समूह 'क' एवं समूह 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में एक मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डल से स्थानान्तरित कर दिया जाय। विभागाध्यक्ष/ मण्डलीय कार्यालयों में की गयी तैनाती अवधि को स्थानान्तरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जायेगा। मण्डलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण पहले किए जायेंगे।
- ii. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं, तो मुख्यालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय में 03 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाए किन्तु जनपदों व मण्डलों में तैनाती की अवधि को उक्त निर्धारित अवधि में न गिना जाए। जनपदों व मण्डलों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग-अलग माना जाए।
- iii. उपरोक्तानुसार समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक ही किये जा सकेंगे तथा इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत है, उन कार्मिकों को 20 प्रतिशत की सीमा में रखते हुये उनका स्थानान्तरण पहले किया जायेगा। उक्त निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता होने पर मा० मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा।

संवर्गवार प्रतिशत की गणना संबंधित संवर्ग में कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या को आधार मानकर की जायेगी, इस हेतु संबंधित संवर्ग में स्वीकृत पदों को आधार नहीं माना जायेगा। यह गणना दिनांक 01.04.2024 को संवर्ग में कुल कार्यरत अधिकारियों के आधार पर की जायेगी।

- iv. समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे। इस संबंध में स्थानान्तरण नीति के अनुपालन की स्थिति से मा० विभागीय मंत्री से विचार-विमर्श करके कार्यवाही की जाए।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक्सी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।

- v. स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कार्मिकों के संबंध में मा० विभागीय मंत्री के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण किया जाए।

3- समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

- समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेंगे।
- समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गिवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत हैं, उन कार्मिकों को 10 प्रतिशत की सीमा में पहले लिया जायेगा।

समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरणों में नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की स्थिति में मा० विभागीय मंत्री से भी विचार-विमर्श करके कार्यवाही की जाए।

- स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेंगे।
- समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाएं।
- इसके अतिरिक्त समूह 'ग' हेतु पटल परिवर्तन/ क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या- 8/2022/सा०-119/सैन्तालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक 13 मई, 2022 (प्रति संलग्न) के अनुसार समूह 'ग' के समस्त कार्मिकों का पटल / क्षेत्र परिवर्तन (प्रदेश / मण्डल / जनपद स्तर) किये जाने की कार्यवाही कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

4- अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत:-

- संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए।
- समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।
- समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों / कार्यालयों में लागू होंगे।
- भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational District Scheme) से संबंधित 08 जिले-चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकासखण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतुप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाए।
- स्थानान्तरण सत्र की निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यतः स्थानान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जायें।
- स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ-डेट 31 मार्च, 2024 को माना जायेगा।
- यह स्थानान्तरण नीति उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू नहीं होगी।
- यदि किसी विभाग से संबंधित कोई अन्य कार्यालय उस जनपद में है तो निर्धारित अवधि के पश्चात कार्मिक को उस अन्य कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी भी तैनात किया जा सकेगा, किन्तु इसे स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं माना जायेगा।

यदि किसी विभाग का जनपद में कोई अन्य कार्यालय नहीं हैं तो शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार कार्मिक का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन किया जा सकेगा।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।

5- विभागों द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नवत स्थानान्तरण किये जा सकेंगे:-

- i. प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। परन्तु इस संबंध में स्थानान्तरण नीति के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- ii. प्रोन्नति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में प्राप्त रिक्त पदों पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। यदि किसी कार्मिक को प्रोन्नति के उपरांत किसी अन्य स्थान पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को स्थानान्तरण नीति से आच्छादित नहीं माना जायेगा तथा प्रोन्नति के पश्चात रिक्त पदों पर तैनाती, नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से की जा सकेगी।
परन्तु इस हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार के स्थानान्तरण पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ सिद्धान्त के अनुसार हो।
- iii. किसी अधिकारी/ कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता या पिता के अवस्थक बच्चों के पालन पोषण / देखभाल इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी / कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण / समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
यदि पति-पली दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद / नगर / स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
- iv. मंदित बच्चों/ चलन क्रिया से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो, या जहां से उनकी उचित देखभाल हो सके। दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उनके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।
- v. 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय। इसके लिये पूर्व में उस मण्डल / जनपद में उसकी तैनाती अवधि को संज्ञान में न लिया जाये।

6- आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायें किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा. विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

7- शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र 2024-2025 में दिनांक 30 जून, 2024 तक पूर्ण किया जाये।

8- यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो मा० विभागीय मंत्री के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

9- समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासम्भव मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किया जाय।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in/> से रात्यापित की जा सकती है।

मेरिट बेस्ड स्थानान्तरण किये जाने हेतु वरियता निर्धारण / भारांक का निर्धारण शासनादेश संख्या-8/2023/405/ सामान्य/ सैंतालीस-का-4-2023-1(3)96, दिनांक 03 अगस्त, 2023 के अनुसार किया जायेगा।

10- सीधी भर्ती की नव नियुक्ति के आधार पर की जाने वाली तैनातियों को भी स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में नहीं गिना जायेगा। परन्तु इस हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार के स्थानान्तरण पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ सिद्धान्त के अनुसार हो और यथासंभव अनलाइन पद्धति से हो। सीधी भर्ती के नवनियुक्त कार्मिकों को आकांक्षी जनपदों/ विकासखण्डों में तैनाती प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर यदि स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र में किये जाते हैं तो उन्हें संबंधित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में गिना जायेगा।

11- स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-

- i. स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
- ii. स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
- iii. स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।
- iv. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational District Scheme) से संबंधित 08 जनपदों एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबंध आई.ए.एस./ आई.पी.एस./ आई.एफ.एस. / पी.सी.एस. एवं पी.पी.एस. अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
- v. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खण्डों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय।
- vi. आकांक्षी (Aspirational) जनपद तथा आकांक्षी विकास खण्डों में समस्त रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जायें।
- vii. कार्मिक के आनलाइन स्थानान्तरण के फलस्वरूप उसके स्थानान्तरण आदेश, कार्यमुक्ति या स्वतः कार्यमुक्ति के आदेश, कार्यभार-ग्रहण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने पर ही संबंधित कार्मिक का वेतन आहरण हो सकेगा।
- viii. यदि स्थानान्तरण आदेश ऑफलाइन किया जाता है तो भी उसकी प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर कार्यमुक्ति एवं कार्यभार-ग्रहण आदि के संबंध में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश/मण्डल/जिला स्तर के अध्यक्ष एवं सचिव के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किये जायें। किन्तु उक्त पदाधिकारियों

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक्स जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।

को यह सुविधा देने का अर्थ यह नहीं है कि जनहित के विरुद्ध कार्य करने, कदाचार अथवा भ्रष्ट आचरण करने पर भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।

लापरवाही, भ्रष्टाचार व आपराधिक कृत्य, अनुशासनहीनता व दुराचरण में लिप्त होने के पुष्टिकारक तथ्य लाये जाने पर या ऐसे मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने पर निम्न प्रक्रिया का पालन करते हुये उक्त पदाधिकारियों को पूरे सत्र में कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा:-

- i. जनपद में तैनात सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण संबंधित जिलाधिकारी एवं मण्डल में कार्यरत पदाधिकारी का स्थानान्तरण मण्डलायुक्त की संस्तुति पर सक्षम स्तर से किये जा सकेंगे।
- ii. मुख्यालय स्तर पर सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरांत शासन स्तर से किया जा सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सेवा संघों के उपरोक्त पदाधिकारियों का शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार पटल/ क्षेत्र परिवर्तन अवश्य किया जायेगा तथा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक प्राधिकारी की होगी।

13- स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिशः-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाए। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य / आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाए तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाए।

14- चार्ज नोटः-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त, संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों / विकास कार्यक्रमों / परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

15- जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

16- इस स्थानान्तरण नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त मा० मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

17- उपरोक्त स्थानान्तरण नीति में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्धन मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जा सकेगा।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या-4/2024/144-सामान्य/सैंतालीस-का-4-2024-1/3/96, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मा० मंत्रिगण।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।

4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब राइट <http://shasanadेश.up.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: ४/२०२२/प्र०-११७/दिल्ली/न- २०२२ (१३/९६)

टेक्स्ट

मुख्य अधिकारी

मुख्य सचिव

राज्यपाल शासन ।

दोस्रा दो

- १- सत्त्वत अधर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
राज्यपाल शासन ।
- २- सत्त्वत विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, ३० वर्ष ।

विभिन्न उद्देश्य

लिखित दिनांक: १३ गंगा, २०२२

दोस्रा दोहरा दो के कार्मिकों का प्रत्येक ०३ वर्ष के उपरांत पटल/ क्षेत्र परिवर्तन किया जाया ।

दोस्रा

सरकारी कार्यालयों ने कार्य की शुद्धिता बनाये रखने के दृष्टिगत पूर्व में शासन रत्नर रो रामगंगा-द्वारा इस उत्तराय के आदेश निर्गत किये गये हैं कि समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक ०३ वर्ष के दृष्टिगत क्षेत्र परिवर्तन कर दिया जाय। शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ।

२- उत्तर: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (क्लिड) में तैनात / कार्यरत कार्यिन्द्रिय या क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक ०३ वर्ष के उपरान्त ३० जून तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाय। कृपया कार्मिकों के पटल/ क्षेत्र परिवर्तन हेतु उत्तराधिकार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(1) तभी विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष यह देखेंगे कि पटल/ क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था का तर्फ से अनुपालन हो। संवेदनशील/ लोक व्यवहार के पदों के संबंध में भी व्यक्तिगत रूप से तर्काका कर संबंधित कार्मिक का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाय ।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पटल/ क्षेत्र परिवर्तन करने के पश्चात अनौपचारिक रूप से संबंधित पटल/ क्षेत्र पर पूर्व में तैनात कार्मिक का प्रभाव न बना रहे या वह अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से संबंध होकर वहीं कार्य संपादन पूर्व की भाँति न करता रहे ।

(3) कार्मिकों के पटल/ क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा यह प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष को ३० जून तक प्रेषित कर दिया जायेगा कि उनके अधीन ०३ वर्ष से अधिक अवधि का कोई कार्मिक एक ही पटल/ क्षेत्र में तैनात नहीं है ।

(4) इसी प्रकार विभागाध्यक्ष भी शासन को यह प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष ३० जून तक देंगे कि उनके अधीन मुख्यालय में ०३ वर्ष से अधिक कार्मिकों का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन कर दिया गया है ।

(5) यदि किसी कार्मिक वा शासकीय कार्यहित में पटल/ क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने की अपीरहार्य परिस्थिति हो, तो इस संबंध में उन अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये एक

१. यह आमनदी दूरवर्तीनकाली गांधी विद्या गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

२. यह आमनदी गांधी प्रमाणाधिकार विवरण (http://mcaonline.nic.in/mca21form/) से संतुष्टिकारी जा सकती है ।

निश्चित अवधि हेतु संबंधित कार्मिक का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन ज किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन प्राप्त कर तिया जाय।

उपरोक्त जिर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या- 8/2022/सा०-119/सेंतालीस-4-2022-(1/3/96) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, ३० प्र० ।
- (2) अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, ३० प्र० ।
- (3) निजी सचिव, मा० मंत्रिगण, ३० प्र० ।
- (4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, ३० प्र० ।
- (6) निदेशक, सूचना विभाग, ३० प्र०, लखनऊ ।
- (7) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३० प्र० ।
- (8) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, ३० प्र० ।
- (9) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रोनिक्स जारी किया गया है अतः इस पर एस्ट्राईट वा० आलैयकल्ता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वा० रोइट <http://shasanadesh.up.gov.in/> से शत्यापित वा० जा सकता है ।

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: १० जून, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या- 8/2022/सा०-119/सैतालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक 13-05-2022 का सन्दर्भ लेने का काष्ट करें जिसके द्वारा समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु आयुक्त महोदया के अनुमोदनोपरान्त पत्र संख्या-962 दिनांक 27-05-2022 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

शासन के पत्र दिनांक 13-05-2022 में दिये गये निर्देशानुपालन में समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1- शासन के उपरोक्त पत्र के माध्यम से स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में समूह ग के कार्मिकों के मुख्यालय/ जोन के अन्तर्गत पटल/ क्षेत्र परिवर्तन करने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों को दिनांक 30 जून करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर व वाराणसी जोन में एक से अधिक अपर आयुक्त ग्रेड-1 तैनात हैं, अतः यहां तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-1 जोन प्रथम को जोन प्रथम एवं जोन द्वितीय के कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही समिति के माध्यम से किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। समिति में दोनों जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 तथा दोनों जोन के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सदस्य होंगे।

2- करनिर्धारण एवं गैर करनिर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

क- सचलदल कार्यालय - एक वर्ष

ख- विझनुओशा० एवं प्रवर्तन कार्यालय- दो वर्ष

ग- कर निर्धारण कार्यालय - तीन वर्ष

घ- गैर कर निर्धारण कार्यालय - दो वर्ष

च- अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर कार्यालय तथा टैक्स आडिट कार्यालय को भी कर निर्धारण कार्यालय की परिधि में माना जाये।

(कर निर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की गणना कार्मिक के कर निर्धारण कार्यालय से सम्बद्ध रहने की अवधि को भी कर निर्धारण कार्यालय में कार्यरत मानते हुये की जाये।)

3- सचलदल से विझनुओशा० में एवं विझनुओशा० से सचलदल में तैनाती नहीं की जाएगी। जो कार्मिक गत वर्ष इन इकाईयों / कार्यालयों में तैनात रहे हैं, उन्हे 03 वर्षों तक इन कार्यालयों में तैनात न किया जाये। इसके अतिरिक्त इन इकाईयों में तैनाती अवधि के दौरान समूह "ग" श्रेणी के जिन कार्मिकों की दूषित कार्यप्रणाली के कारण उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, ऐसे कार्मिकों को भी जनहित / राजस्व हित में इन इकाईयों में तैनात न किया जाये।

4- विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्मिकों की सेवाती मुख्यालय के पश्च संख्या-1035 दिनांक 19-06-2015 द्वारा किये गये पदवार आवेदन के अनुसर की जाएगी। एवं किसी भी कार्मिक का अन्य कार्यालय में सम्बद्धीकरण किया जाएगा में नहीं किया जाये।

6- स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दबाव डलवाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुये नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायें।

7- प्रायः कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आचरण अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। चूंकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अतः ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके विरुद्ध सुसंगत नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी जाये।

19.06.2022
09/06/2022

(सुधा वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सेख्या :: एवं दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदया के अवलोकनार्थ।

3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ।

4- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

6- समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

9- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क
/ स्था-3ख राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्वेच्छा आधार पर अराजपत्रित श्रेणी के कार्यकों का एक जनपद/ज्ञान से इतरे जनपद/ज्ञान से ज्ञानांश हेतु अधिकारी

प्रारूप-क्र.

1. कर्मचारी का नाम एवं आईडी(न)

2. वर्दनाम

3. गृह जनपद

4. विभाग में नियुक्ति की तिथि

आपने किस दिन की तिथि

5. वर्तमान वैनाती कार्यालय का नाम (अलग लाइन)।

6. वर्तमान वैनाती कार्यालय के जनपद में क्या से बैनान है।

7. विषय 05 वर्षों में कर्मचारी जो वैनाती का विषय :-

वर्ष	कार्यालय व पटल / अनुभाग का नाम	अवधि (दिनांक) — से दिनांक — तक
1	2019-20	
2	2020-21	
3	2021-22	
4	2022-23	
5	2023-24	

8. विषयालय हेतु अधिकारी जनपद/ज्ञान का नाम (दिनांक लाइन) :-
9. विषयालय का विषय (उन्नाय संलग्न करें) :-
10. नीचे प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा अद्यता मेरे पायावार के किसी विषय पर द्वारा किसी भी विषय की विषयता नहीं है जिसकी कारण द्वारा मेरे किसी उपराजितों की विषयता है, किंतु वे दोनों विषय विषय नहीं हैं।
11. नीचे भी प्रमाणित करता हूँ कि विषयालय हेतु मेरे द्वारा किसी विषय की विषयता नहीं है, जिसकी विषयता कोड विषय भी नहीं किया गया है।

प्रारूप-

कर्मचारी के दस्तावेज़

कर्मचारी के सेवा अधिकारी से प्रमाणित डिप्टी कमिशनर (प्रशालन) / अस्थिकमिशनर(ए) की अम्भियति

1. मेरी जनपद/ज्ञान का विषय अवधि विभाग का विषय है। यही विषय है।
2. मेरी विषयालय विषय के विषय की विषयता है।
3. कर्मचारी द्वारा लाइन-9 में दिये गए कार्य के विषय विषय है। कर्मचारी द्वारा दिये गए विषय की विषयता है।

दस्तावेज़ दस्तावेज़ (द्वारा लाइन)

प्रशालन कमिशनर/कार्यपालक/प्रापिकरण की विषय लाइन।

दस्तावेज़ दस्तावेज़ लाइन।

— प्रत्याय पत्र —

प्रमाणित किया गया है कि कर्मचारी द्वारा दिये गए विषय का विषय विषय है। कर्मचारी का विषयालय विषय के विषय है। कर्मचारी का विषयालय विषय के विषय है।

प्रशालन कमिशनर/कार्यपालक/प्रापिकरण की विषय लाइन।

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण छेत्र संस्थुति

प्रारूप-यु

1. कर्मचारी का नाम

2. पदनाम

3. वर्तमान तैनाती का कार्यालय / जनपद / जोग / अनुभाग का नाम
एवं तैनाती की तिथि

4. दृह जनपद

5. क्या वर्तमान में कर्मचारी मान्यता प्राप्त संघ का प्रधिकारी है यदि हो तो किस पद पर व कब से तथा शासन की स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-13 के अन्तर्गत सदाचार प्रधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
वर्तमान तैनाती के पूर्व 5 वर्षों की तैनातियों का विवरण:-

श्रेणी	वर्ष	कार्यालय व पटल / अनुभाग का नाम	अवधि (दिनांक से दिनांक तक)
1	2019-20		
2	2020-21		
3	2021-22		
4	2022-23		
5	2023-24		

6. प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में यांची नायों का ग्रन्थ उल्लेख करते हुये संस्थुति।

संस्थुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम (पुहर सहित)

7. जो प्रस्ताव मुख्यालय को प्रसिद्ध किया जा रहा है, उसमें मैं सम्भव हूँ।

जोगल एडीशनल कमिशनर वाणिज्यकर
हस्ताक्षर (पुहर सहित)